न्यायालय नायब तहसीलदार सिणधरी जिला बाड़मेर राजस्थान

मुकदमा नम्बर 01/2023

राजस्थान सरकार जरिये बनाम कुम्भाराम पुत्र रूपाराम मेघवाल

पटवारी हल्का उण्डाली शाकिस्थ कितेपाल

मुकदमा अन्तर्गत राजस्थान भू – राजस्व अधिनियम 1956 कि धारा 91

निर्णय

दिनांक 24-3-2023

संक्षिप्त प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि हल्का पटवारी उण्डाली ने रिपोर्ट पेश कर जाहिर किया कि अप्रार्थी ने संवत 2079 में राजस्व ग्राम कितेपाल के खसरा नं. 74 रकबा 0.0371 हे बीघा किस्म गै.मु. वाला पर अनाधिकृत कब्जा कर अतिक्रमण किया है । जिस पर राजस्थान भू – राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को नोटिस तलब किया गया। पेशी तिथि पर अप्रार्थी अनुपस्थित ।

गैर सायल बावजूद नोटिस तामिल के अनुपस्थित अतः गैर सायल के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती हैं ।

चूकि उक्त आराजी राजस्व अभिलेख अनुसार राजकीय भूमि दर्ज मे जिस पर अप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत कब्जा करना साबित होता है । ऐसी अवस्था में अप्रार्थी को राजस्थान भू – राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत अधिकमी घोषित किया जाकर उसको उक्त आराजी मुतनाजा से बेदखली के आदेश दिये जाते है । अप्रार्थी के इस कृत्य के लिए उसके विरूद्ध भू – राजस्व लगान 0.18 रुपये का राउण्ड अप एक रुपया रू का का 50 गुणा अर्थात 50 रूपये (अक्षरे पचास) का जुर्माना आरोपित किया जाता है । जो अप्रार्थी से वसूल हो ।

हल्का पटवारी अप्रार्थी को उक्त आराजी से भौतिक रूप से वेदखल कर निर्णय की पालना में भूमि का कब्जा वहक सरकार प्राप्त करें एवं कब्जा प्राप्ति रिपोर्ट पेश करें । निर्णय की कियान्वित मांग कायमी हेतु तराले / भू. अ. निरीक्षक / पटवारी हल्का आदेश की पालना सुनिश्चित करें । निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

(मुहर: न्यायालय नायब तहसीलदार सिणधरी (बाड़मेर))

वर्ष 2022-23 के राजस्व लेखा पंजिका सं. 4 के पृष्ठ सं. 36 पर क्र.सं. 01 पर जुर्माना/फसल निलामी राशि रू. 50/- की मांग दर्ज की गई।

M. P.
तहसील राजस्व लेखाकार
तहसील सिणधरी

नायब तहसीलदार
सिणधरी